FORM NO III

फर्द अहकाम

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी | मुकाम– धोद मु. सीकर

चम्पा देवी | बनाम | तहसीलदार, धोद

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट | मु.नं. 5 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.12.2020	प्रार्थीया चम्पा देवी पत्नी चतरा राम जाति जाट निवासी रामबक्सपुरा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत प्रकरण पर तहसीलदार, धोद से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थना–पत्र के सम्बंध में पेश होने साक्ष्य एवं आगामी कार्यवाही बाबत पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	
27/01/21	प्रत्रावली पेश हुई/[illegible] उपस्थित है P.O. Sb. अव[illegible] मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/03/21 को पेश हो	
16/2/2021	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया कि ग्राम रामबक्शपुरा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद के खाता सं. 10 के खसरा सं. 187 रकबा 1.9400 हेक्टेयर, खसरा सं. 233/182 रकबा 0.7500 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.6900 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम चम्पा देवी पत्नी गोपाल राम अंकित है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम चम्पा देवी पत्नी चतराराम है। प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित उपहार–पत्र में भी प्रार्थीया का नाम चम्पा देवी पत्नी चतराराम अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम चम्पा देवी पत्नी गोपाल राम के स्थान पर चम्पा देवी पत्नी चतराराम दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील प्रार्थीया से सुनी गई। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "जरिये नामान्तरकरण सं. 416 में रजिस्टर्ड दस्तावेज में चम्पा देवी पत्नी चतराराम के नाम खातेदारी दर्ज होनी थी। लेकिन सहवन से चम्पादेवी पत्नी गोपालराम दर्ज हो गया, जो कि अशुद्ध है, का इंद्राज राजस्व रिकॉर्ड में हो गया। अतः चम्पा देवी पत्नी गोपाल राम के स्थान पर च[illegible] चतराराम शुद्धि किये जाने की अभिशंषा की जाती है।" अतः मुता[illegible] तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट व प्रस्तुत समस्त [illegible] के आ[illegible] प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रामबक्शपुरा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद के खाता सं. 10 के खसरा सं. 187 रकबा 1.9400 हेक्टेयर, खसरा सं. 233/182 रकबा 0.7500 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.6900 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम चम्पादेवी पत्नी गोपालराम के स्थान पर चम्पा देवी पत्नी चतराराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh
Date: 2021.02.22 17:09:22
Reason: SelfAttested

से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh K
Date: 2021.02.22 17:09:22 IS
Reason: SelfAttested